जिमिक पियोत्र

बनाम

तमिलनाडु राज्य एवं अन्य

(आपराधिक अपील नंबर 2121/2009)

नवम्बर 13, 2009

(दलवीर भण्डारी एवं एच.एल. दत्तु, जेजे.)

विदेशी मुद्रा का संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974- धारा 3(1)(i) बन्दी विदेशी मुद्रा की तस्करी देश के बाहर करने की कोशिश कर रहा- निरोध आदेश अन्तर्गत धारा 3(1)(i) पासपोर्ट भी जब्त किया गया-चुनौती दी- धारित व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के मामलों में, निवारक निरोध के आदेश को सही ठहराने के लिये उच्च मानक के सबूत का होना-राज्य द्वारा उपलब्ध कराई गयी सामग्री निवारक निरोध आदेश के तहत अपीलार्थी के स्वतन्त्रता में कटौती को उचित ठहराने के लिये पर्याप्त नही- विदेशी मुद्रा की तस्करी नहीं की जा सकती क्योकिं व्यक्ति अपने पासपोर्ट को जब्त किये जाने के कारण देश से बाहर नहीं जा

सकता- इस प्रकार हिरासत आदेश संधारण योग्य नहीं- उच्च न्यायालय का आदेश अपास्त किया गया।

अपीलार्थी- पॉलिश नागरिक, विदेशी मुद्रा का देश से बाहर तस्करी करने का प्रयास कर रहा था। वह मुद्रा जब्त की गयी थी। निरोध आदेश जो कि विदेशी मुद्रा का संरक्षण और विनियम की रोकथाम एवं तस्करी गतिविधिया निवारक अधिनियम 1974 की धारा 3(1);पद्ध के अंतर्गत उसे भविष्य में माल की तस्करी से रोकने हेतु पारित किया गया था। उसका पासपोर्ट भी जब्त किया गया था। अपीलार्थी ने निरोध आदेश को चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने हिरासत आदेश को बरकरार रखा।

इस अपील में विचार के लिये जो प्रश्न उठाया गया था वह यह है कि क्या प्रतिवादी राज्य यह संतोषजनक साबित कर सकता है कि अपीलार्थी बंदी को यदि स्वतन्त्र कर दिया तो उसके भविष्य में तस्करी गतिविधियों में शामिल होने की प्रवृति और संभावना है और क्या अपीलार्थी का पासपोर्ट जब्त करके उसे देश छोडने से रोकने के लिये, निरोध आदेश पारित करके प्राप्त किये जाने वाले उद्देश्य को पूरा करने के लिये पर्याप्त होगा।

अपील की अनुमति देते हुए न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया।

1.1. विदेशी मुद्रा का संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम 1974 विदेशों के समृद् तस्करी व्यवसाय पर अंकुश लगाने के

लिये लागु किया गया है। मुद्राएं, प्राचीन वस्तुए और अन्य मूल्यवान वस्तुएं भारत से अपने पडौसी देशों में भेजी जाती है। अधिनिमय के उद्देश्यों और कारणों से, अधिनियम का उद्देश्य विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन या तस्करी को रोकना है। ऐसी गतिविधियां जिनका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर और इस प्रकार राज्य की सुरक्षा पर हानिकारक गंभीर प्रभाव पडता है। निरोध का आदेश पारित करने का औचित्य संदेह या उचित संभावना है। भविष्य में तस्करी गतिविधियों को आगे बढने से रोकने के लिए उस व्यक्ति को हिरासत में लेने की मांग की। व्यक्ति की भविष्य में प्रतिकूल प्रभाव डालने की क्षमता व प्रवृति की गतिविधियों को साबित करने की आवश्यकता है। (पैरा 19 और 21) (899-एफ-जी; 900-डी-ई)

भारत संघ बनाम पॉल मानिकम एआईआर 2003 एससी 4622- संदर्भित किया।

1.2 यहां तक कि एक एकल कार्य क्षमता भी बंदी की तस्करी गतिविधियों को जारी रखने की प्रवृति को साबित कर सकता है केवल यह तथ्य कि एक अवसर पर देश में माल की तस्करी करने वाला व्यक्ति COFEPOSA। के तहत किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिये एक वैध आधार हो सकता है। इस उद्देश्य के लिये व्यक्ति के पूर्ववत तथ्यों और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। उत्तरदाता तत्काल मामले में स्वीकारोक्ति पर बडे पैमाने पर भरोसा करना चाहते है।

COFEPOSA। के प्रावधानो के तहत सीमा शुल्क अधिकारीयों के समक्ष दिये गये बयान में अपीलार्थी ने केवल सिंगापुर में रहते हुए उनके द्वारा किये गये व्यवसाय की प्रकृति और इस बारे में उन्होने अपने पूर्ववृत वर्णत किया है। सिंगापुर में व्यापारिक लेनदेन करने वाले व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा ले जाने के लिए प्रेरित किया गया। इस तरह दिये गये बयान में उन्होने यह भी नहीं बताया कि वह पहले भी विदेशी मुद्रा की तस्करी की गतिविधियों में शामिल थे। प्रत्यर्थियों का मामला कि यदि उन्हे हिरासत में नहीं लिया गया तो वे विदेशी मुद्रा की तस्करी की गतिविधियों में शामिल होगें और यह उनका विशिष्ट मामला है कि वह तस्करी को बढावा दे सकता है। (पैरा 24) (902-सी-जी)

पूजा बत्रा बनाम भारत संघ (2009) 5 एससीसी 296 ; गुरूदेवसिंह बनाम भारत संघ (2002) 1 एसीसी 545, पर निर्भर

1.3 सुनवाई के दौरान राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया कि केवल पासपोर्ट का प्रतिधारण बंदी का पर्याप्त नहीं होगा, क्योकि निवारक निरोध आदेश पारित किया गया ताकि देश में रहकर माल की तस्करी से उसे रोका जा सके, उच्च न्यायाल्य के समक्ष यह दलील दी गयी थी। उच्च न्यायालय ने इसे निवारक निरोध आदेश पारित करने को सही ठहराने के लिये एक संतोषजनक जवाब के रूप में स्वीकार किया, यदि यही स्थिति होती तो निवारक निरोध का आदेश यूएस द्वारा पारित किया जा सकता था

क्योकि यह राज्य सरकार को निवारक निरोध आदेश पारित करने के लिये अधिकृत करता है उसे माल की तस्करी को बढावा देने से रोकना। उत्तरदाताओ द्वारा प्रस्तुत तर्क किसी भी तर्क से रहित है, तत्काल मामले में निरोध आदेश यूएस द्वारा पारित किया जाता है। सीमा शुल्क विभाग ने बंदी का पासपोर्ट अपने पास रख लिया है। अपीलार्थी के तस्करी गतिविधियों में लिप्त होने की संभावना को प्रभावी रूप से रोक दिया गया था। (पैरा 26 और 27) (903-जी-एच ; 904-ए-सी-ई)

ईब्राहीम शरीफ एम. माधफुशी बनाम भारत संघ व अन्य (1992) 1 एससीसी 1, संदर्भित किया।

सिथ्थी जुरैना बेगम बनाम भारत संघ व अन्य (2002) 10 एससीसी 448, सम्मानित

1.4 निवारक निरोध आदेश पारित करके किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती करने की कोई आवश्यकता नही थी। विदेशी मुद्रा की तस्करी नहीं की जा सकती क्योकि कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। उसके पास पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया है केवल इसलिये कि कोई व्यक्ति इसलिये की कोई व्यक्ति अन्यथा देश में जीवित नहीं रह सकता है, इस निष्कर्ष पर पहुँचने का कोई आधार नही है कि कोई व्यक्ति फिर से तस्करी गतिविधियों का सहारा लेगा, या देश में रहकर ऐसी गतिविधियों को बढावा देगा। इन परिस्थितियों में प्रमाण के उच्च मानक की आवश्यकता होती है।

किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतन्त्रता को शामिल करना। प्रत्यर्थियों द्वारा प्रदान की गयी सामग्री निवारक निरोध के आदेश के तहत अपीलार्थी की स्वतन्त्रता में कटौती को सही ठहराने के लिये पर्याप्त नही है। इस प्रकार तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार बंदी की रिहाई का निर्देश देने के लिये कारण दर्ज किये जाते है। (पैरा 30 और 31) (905-सी-जी)

ऑर्टोनी जनरल ऑफ इण्डिया और अन्य बनाम अमृतलाल प्रजीवनदास एवं अन्य 1994(5) एससीसी 54; चौदरापु रघुनन्दन बनाम तमिलनाडु 2002 (3) एससीसी 754; कुन्दन भाई धुलाभाई शेख अन्य बनाम जिला मजिस्ट्रेट अहमदाबाद एवं अन्य 1996 (3) एसीसी194; महेश कुमार चौहान उर्फ बंटी बनाम युनियन ऑफ इण्डिया 1990 (3) एससीसी 148; प्रभुदयाल देवराह बनाम जिला मजिस्ट्रेट 1974 (1) एसीसी103; राजेश गुलाटी बनाम दिल्ली सरकार एवं अन्य संदर्भित किया।

केस उद्धरण:

1994 (5) एसीसी 54	संदर्भित किया	पैरा 11
2002 (3) एसीसी 754	संदर्भित किया	पैरा 12
1996 (3) एसीसी 194	संदर्भित किया	पैरा 13
1990 (3) एसीसी 148	संदर्भित किया	पैरा 13
1974 (1) एसीसी 103	संदर्भित किया	पैरा 13

2002 (7) एसीसी 129	संदर्भित किया	पैरा 14
।स् 2003 एसीसी 4622	संदर्भित किया	पैरा 17
(2009) 5 एसीसी 296	निर्भर है	पैरा 22
(2002) 1 एसीसी 545	निर्भर है	पैरा 23
(1992) 1 एसीसी 1	संदर्भित किया	पैरा 28
(2002) 10 एसीसी 448	विलक्षित है	पैरा 29

आपराधिक अपील न्याय क्षेत्र: आपराधिक अपील नंबर 2121/2009

मद्रास उच्च न्यायालय के एचसीपी संख्या 1874/2008 के निर्णय और आदेश दिनांकित 15.07.2009 से

के.के. मनी, अंकित स्वरूप, अपीलार्थी

आर.शण्मुगासुन्दरम, प्रोमिला, एस.थननंजयन प्रतिवादीगण

न्यायालय द्वारा निर्णय अभिनिर्धारित किया गया।

एच.एल. दत्तू, जे.1.- अनुमति प्रदान की गयी।

2. हमारे आदेश दिनांक 28.10.2009 द्वारा हमने बंदी को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया था, बशर्ते कि किसी अन्य कार्यवाही में उसकी हिरासत की आवश्यकता हो। ऐसा करते समय हमने कारण नहीं बताये थे और हमने देखा था कि विस्तृत कारण बाद में बताये जायेंगे।

3. अब हम अपील की अनुमति देने और उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करने के कारण बताने के लिये आगे बढते है।

4. अपील मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा 2008 के एचसीपी नंबर 1874 में पारित आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति में रिट देने के लिये अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया गया था, और इस तरह पारित हिरासत के आदेश को बरकरार रखा गया था। विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 की धारा 3(1)(प) के तहत हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा।

5.अपीलकर्ता हिरासत एक पोलिश नागरिक है और सिंगापुर में उसका व्यवसाय है। वह पहले भी प्राचीन वस्तुओं और परिधानों (टेक्सटाईल्स) की खरीदारी के लिये भारत आये थे। वह ऐसे ही व्यवसाय के लिये 05.09.2008 को भारत आया था और उसे 07.09.2008 को एयर इण्डिया की उडान आईसी-557 के माध्यम से सिंगापुर लौटना था। हालांकि चेन्नई अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, उन्हे सीमा शुल्क अधिकारीयों ने रोक लिया। बंदी ने कहा कि उसके पास केवल 2300 पाउंड और 400 अमेरिकी डॉलर थे। उसके सामान की तलाशी में 15,500 यूरो, 39,700 अमेरिकी डॉलर, 16,200 ब्रिटिश पाउंड और रूपये की मुद्रा मिली। 30,000/- जोडकर रूपया 40,72,878/- अखबारों के छह बंडलो पर चिपकाया गया।

देश के बाहर विदेशी मुद्रा की तस्करी की कोशिश के लिये विदेशी मुद्रा प्रबंधन (मुद्रा का निर्यात और आयात) विनियम 2000 के विनियमन 5 के साथ पठित, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत आगे की कार्यवाही के लिये मुद्रा को महाजार के तहत जब्त कर लिया गया था। बंदी को 08.09.2008 को ईओ ii अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मद्रास के समक्ष पेश किया गया, जिन्होने अपीलकर्ता को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश पारित किया। अपीलकर्ता ने दो जमानत याचिकाएं दायर की, एक ईओ द्वितीय अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष और दुसरी सत्र न्यायालय के समक्ष। दोनो आवेदन खारिज किये जाते है।

6. बंदी की पत्नी ने सीमा शुल्क आयुक्त (हवाई अड्डा) चेन्नई को दिनांक 12.09.2008 को एक अभ्यावेदन भेजा, और उसे भी अस्वीकार कर दिया गया।

7. तमिलनाडु सरकार (प्रतिवादी नंबर 1) ने अपीलकर्ता को भविष्य में माल की तस्करी से रोकने की दृष्टि से विदेशी मुद्रा संरक्षण की धारा 3 (1)(प) के तहत हिरासत में लिये गये व्यक्ति के खिलाफ नजरबंदी आदेश पारित किया और तस्करी गतिविधिया रोकथाम अधिनियम 1974 (इसके बाद COFEPOSA। के रूप में संदर्भित) और उसे केंन्द्रीय कारागार, चेन्नई में हिरासत में रखा गया। बंदी ने सलाहकार बोर्ड को दिनांक 14.11.2008 को एक अभ्यावेदन के माध्यम से अनुरोध किया कि उसे अपने मामले को

प्रभावी ढंग से रखने के लिये सलाहकार बोर्ड के समक्ष एक वकील के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी जाये। इस दलील पर सलाहकार बोर्ड ने विचार नहीं किया। दिनांक 04.11.2008 के अधिनियम के तहत पारित हिरासत के आदेश से व्यथित बंदी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसमें विभिन्न आधारो पर उक्त आदेश पर सवाल उठाया गया।

8. उच्च न्यायालय के समक्ष बंदी अपील कर्ता का तर्क यह था कि कथित तस्करी गतिविधि के एकल,एकान्त और अलग थलग कृत्य के आधार पर उसके खिलाफ हिरासत का आदेश पारित किया गया था। जो किसी भी पूर्ववृत और अतित के अभाव में कानुन में टिकाउ नही है। पूर्वाग्रही गतिविधिया इसके अलावा रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री भविष्य में तस्करी गतिविधियों के लिये बंदी की ओर से किसी भी संभावना या प्रवृति का संकेत नहीं देती है अपील कर्ता ने यह भी तर्क दिया कि अपील कर्ता का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है और इसलिये तस्करी के उद्देश्य से हिरासत में लिये गये व्यक्ति के देश के बाहर जाने की कोई संभावना नही है। इसलिये हिरासत के आदेश को कानुन के अनुसार नहीं कहा जा सकता, क्योकि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा बिना सोचे समझे इसे पारित कर दिया गया है।

9. उत्तरदाताओं ने इस आधार पर अपील कर्ता की चुनौतियो का विरोध किया कि अपील कर्ता ने स्वयं स्वीकार किया है कि 2000 डॉलर के मौद्रिक विचार के लिये किसी विदेशी देश से मुद्राएं लाया था। इसलिये यदि अपील कर्ता को देश के बाहर जाने की अनुमति दी गयी तो उसके इसी तरह की गतिविधियों में शामिल होने की संभावना है। जहॉ तक सीमा शुल्क विभाग द्वारा पासपोर्ट को अपने पास रखने की बात है तो उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि अपील कर्ता देश में रहता है। वह तस्करी गतिविधियो में शामिल हो सकता है। बंदी के पिछले इतिहास और गतिविधियो की प्रकृति से संकेत मिलता है कि रिहा होने पर उसके तस्करी गतिविधियो में शामिल होने की संभवना है और इसलिये उसे ऐसी गतिविधियो में शामिल होने से रोकने के लिये हिरासत में लेना आवश्यक है।

10. उच्च न्यायालय ने मामले में की गयी टिप्पणीयो पर भरोसा जताया पूजा बत्रा बनाम भारत संघ (यू.ओ.आई.) और अन्य ने निष्कर्ष निकाला है कि, एक घटना भविष्य में भी तस्करी गतिविधियों को अंजाम देने के लिये हिरासत में लिये गये व्यक्ति की प्रवृति व क्षमता को साबित कर सकती हैं। यह भी देखा गया कि अपील कर्ता का यह कथन कि वह मौद्रिक प्रतिफल के लिये अन्य लोगो के कहने पर विदेशी मुद्रा की तस्करी कर रहा था। एक अन्य कारक है जिस पर इस निष्कर्ष पर पहूचने के लिये ध्यान देने की आवश्यकता है कि अपील कर्ता कि प्रवृति और क्षमता थी।

भविष्य में उसकी तस्करी गतिविधियो में शामिल हो। उच्च न्यायालय का यह भी विचार है कि यदि अपील कर्ता भारत में रहता है तो संभावना है कि वह तस्करी गतिविधियों को बढावा देने में शामिल होगा। तदानुसार रिट याचिका खारिज कर दी गयी। हमारे सामने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौति दी गयी है।

11. अपील कर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि एकल और एकान्त उदाहरण के आधार पर हिरासत में लेने वाला प्राधिकारी अधिनियम के तहत हिरासत का आदेश पारित नहीं कर सकता था। यह प्रस्तुत किया गया है कि हिरासत आदेश पारित करने के उद्देश्य से हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को यह दिखाने की आवश्यकता है कि यदि हिरासत में नही लिया गया तो हिरासत में लिये गये व्यक्ति के पूर्वाग्रह पूर्ण गतिविधि को फिर से शुरू करने की संभावना है। आगे यह तर्क दिया गया है कि जब अपील कर्ता का पासपोर्ट कस्टम अधिकारीयो द्वारा रखा जाता है, तो निवारक हिरासत का आदेश पारित करने की कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं थी। अपने प्रस्तुतीकरण की सहायता में, विद्वान वकील ने इस मामले में इस न्यायालय द्वारा की गयी टिप्पणीयो पर भरोसा किया है, भारत और अन्य के लिये अटोर्नी जनरल बनाम अमृतलाल प्रजीवनदास और अन्य, जिसमें इस न्यायालय ने देखा है कि संक्षिप्त में सिद्वान्त यह प्रतित होता है, ‘‘हालांकि आम तौर पर एक कार्य को हिरासत के आदेश को बनाये रखने के लिये पर्याप्त नहीं माना जा सकता है, यदि कार्य ऐसा है तो एक

कार्य को हिरासत के आदेश को बनाये रखा जा सकता है। प्रकृति यह इंगित करती है कि यह एक संगठित कार्य है या संगठित गतिविधि की अभिव्यक्ति है। कार्य गंभीरता और प्रकृति भी प्रासंगिक है परिक्षण यह है कि क्या कार्य ऐसा है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि व्यक्ति इसमें शामिल होता रहेगा। इसी तरह की पूर्वाग्रह पुर्ण गतिविधि में यही कारण वेगन-ब्रेकिंग, सिग्नल सामग्री की चोरी, भारी मात्रा में टेलीग्राफ तांबे के तारो की चोरी और रेलवे फिस -प्लेटो को हटाने के एकल कृत्यो को पर्याप्त माना गया। इसी तरह जहॉ व्यक्ति ने भारी निर्यात करने की कोशिश की एक योजनाबद्ध और पूर्व-निर्धारित तरीके से किसी विदेशी देश में भारतीय मुद्रा की राशि, यह माना गया कि इस तरह के एकल कार्य से यह अनुमान लगाया जाता है कि वह भविष्य में अपनी गतिविधि दोहरायेगा और इसलिये, उसे ऐसी पुर्वाग्राही गतिविधि में शामिल होने से रोकने के लिये उसकी हिरासत आवश्यक है। यदि कोई उन कृत्य को देखता है जिन्हे रोकने के लिये COFEPOSA बनाया गया है, तो वे सभी या तो तस्करी के कार्य है या विदेशी मुद्रा में हेराफेरी में। इन कृत्यो में ऐसे व्यक्ति शामिल होते है, जो अन्य व्यक्तियो के साथ मिलकर कार्य करते है और अक्सर ऐसी गतिविधि के अन्तरराष्ट्रीय प्रभाव होते है। इन कृत्यो से पहले अच्छी मात्रा में योजना व संगठन बनाया जाता है, वे सामान्य कानुन-व्यवस्था अपराधो की तरह नही है। हांलांकि, यदि किसी भी मामले में एक भी कार्य हिरासत के आदेश को बनाये रखने के लिये पर्याप्त नही पाया जाता है तो

उसे रद्द किया जा सकता है, लेकिन इसे एक सिद्वान्त के रूप में नहीं कहा जा सकता है कि एक एकल कार्य हिरासत के लिये आधार नहीं बन सकता है। इसके विपरित ऐसा होता है। दुसरे शब्दो में, यह आवश्यकता नही है कि हिरासत के आदेश को बनाने या बनाये रखने के लिये आधारो की बहुलता होनी चाहिए।

12. के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया गया है चौदरापु रघुनंदन बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य, जिसमें कहा गया है, ''याचिकाकर्ता का पिछला आचरण यह है कि यह एक इंजीनियरींग स्नातक है और प्रासंगिक समय में वह एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी का प्रबन्ध निदेशक था। ऐसा कोई अन्य आरोप नहीं है कि वह किसी अन्य विरोधी कार्य में शामिल था सामाजिक गतिविधिया। एकमात्र आरोप यह है कि उन्होने ''पर्यटक'' के रूप में दो बार सिंगापुर का दौरा किया। माना जाता है कि याचिका कर्ता ने कथित अपराध के लिये आपराधिक अभियोजन में जमानत याचिका दायर की है और इस तथ्य को बताया है कि उनका तथाकथित बयान स्वेछिक नहीं था और दर्ज किया गया था। दबाव के तहत। सामान उसका नहीं था और उस पर कोई टेग भी नहीं था जिससे उसे उक्त सामान और अपराध से जोडा जा सके। इस मामले की सुनवाई के समय भी, यह स्वीकार किया गया कि सामान बिना किसी टैग के था । यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि यह मानने के लिये रिकॉर्ड पर कुछ भी नही है कि याचिका कर्ता किसी भी तस्करी गतिविधि में शामिल था।

हांलांकि, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल ने प्रस्तुत किया कि सीमा शुल्क विभाग द्वारा दर्ज किये गये बयान में याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया था कि पहले उन्होने एक ''पर्यटक'' के रूप मे दो बार सिंगापुर का दौरा किया था और इसलिये, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि याचिकाकर्ता ऐसी गतिविधियों में शामिल रहा होगा और ऐसा होने की संभावना थी। यह निवेदन दुरगामि और बिना किसी आधार वाला है। इस तथ्य से है कि एक व्यक्ति ''पर्यटक'' के रूप में पहले दो बार सिंगापुर का दौरा कर चुका है। यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि वह तस्करी गतिविधियों में शामिल था या भविष्य में ऐसी गतिविधियो में शामिल होने की संभावना है। इसलिये, उपर बताये गये तथ्यो से यह अनुमान लगाना पुरी तरह से अनुचित है कि याचिकाकर्ता के ऐसी किसी भी पूर्वाग्राही गतिविधियों में शामिल होने की संभावना है।''

13. यह न्यायालय कुन्दन भाई धुलाभाई शेख आदि बनाम जिला मजिस्ट्रेट अहमदाबाद और अन्य के मामले में। आदि (1996) 3 एससीसी 194, में देखा गया कि कालाबाजारी एक सामाजिक बुराई है। आर्थिक अपराधो के लिये दोषी पाये गये व्यक्तियों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए, लेकिन जब संविधान के तहत मौलिक अधिकारो की बात आती है, तो इस न्यायालय को बंदी के खिलाफ लगाये गये आरोपो की विशालता और गंभीरता के बावजूद हस्तक्षेप करना पडता है, जैसा कि संकेत दिया गया था। महेश कुमार चौहान उर्फ बंटी बनाम भारत संघ और अन्य, और पहले

के एक निर्णय में प्रभुदयाल देवरा बनाम जिला मजिस्ट्रेट कामरूप और अन्य, जिसमें यह देखा गया कि असामाजिक गतिविधियो के परिणामस्वरूप समुदाय में होने वाली बुराई की गंभीरता किसी नागरिक की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर हमला करने के लिये पर्याप्त कारण प्रस्तुत नहीं कर सकती है, सिवाय इसके कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार विशेष रूप से सामान्य दण्ड कानून अभी भी लागू होगें। किसी व्यक्ति को बिना सुनवाई के हिरासत में रखने के बजाय उसे लागू करने के लिये उपलब्ध है।

14. अपीलकर्ता के वकील भी इस मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते है राजेश गुलाटी बनाम सरकार दिल्ली के एनसीटी और अन्य,

जिसमें यह माना गया है कि, एक बार जब सीमा शुल्क विभाग ने बंदी का पासपोर्ट जब्त कर लिया, तो तस्करी के उद्देश्य से बंदी के देश से बाहर जाने की संभावना प्रभावी रूप से समाप्त हो गयी थी, और इसलिये बंदी को हिरासत में लेने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है। उसे भारत में माल की तस्करी करने से रोके।

15. राज्य के विद्वान वकील ने हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को उचित ठहराने का प्रयास किया।

16. जिन दो मुद्दो पर निर्णय लेने की आवश्यकता है वे है:

(ई) क्या उत्तरदाता संतोषजनक ढंग से साबित कर सकते है कि मुक्त होने पर भविष्य में अपीलकर्ता की तस्करी गतिविधियो में शामिल होने की प्रवृति व क्षमता है?

(ई) क्या अपीलकर्ता के पासपोर्ट को जब्त करना ताकि उसे देश छोडने से रोका जा सके, हिरासत आदेश पारित करके प्राप्त की जाने वाली वस्तु को संतुष्ट करने के लिये पर्याप्त होगा?

17. निवारक निरोध दण्डात्मक नहीं बल्कि एक एहतियाती उपाय है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को दण्डित करना नही है, बल्कि उसे किसी भी अवैध गतिविधि को करने से रोकना है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को निवारक निरोध कानुन के तहत प्रदान की जाने वाली गतिविधियों, जैसे तस्करी और ऐसी असामाजिक गतिविधियो में शामिल होने से रोकना है। इस मामले में यह न्यायालय भारत संघ (यूओआई) बनाम पॉल मनिकम और अन्य, निम्नलिखित कहा: निवारक हिरासत एक अग्रीम उपाय है और यह किसी अपराध से संबंधित नही है। जबकि आपराधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किये गये अपराध के लिये दण्डित करने के लिये होती है। वे समांतर कार्यवाही नही है, निवारक निरोध के कानुन का उद्देश्य दण्डात्मक नही बल्कि केवल निवारक है इसका सहारा तब लिया जाता है जब कार्यपालिका उपलब्ध सामग्रीयों और उसके समक्ष रखी गयी सामग्री के आधार पर आश्वस्त हो जाती है कि हिरासत में लिये गये व्यक्ति को कानुन

द्वारा निर्दिष्ट कुछ वस्तुओ के प्रति पूर्वाग्रह वाले मामलो में कार्य करने से रोकने के लिये ऐसी हिरासत आवश्यक है किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने की कार्यपालिका की कार्यवाही केवल एहतियाती होने के कारण, मामले को आवश्यक रूप से कार्यकारी प्राधिकारी के विवेक पर छोड दिया जाना चाहिए।

18. निवारक निरोध अनिवार्य रूप से किसी व्यक्ति की स्वतन्त्रता में कटौती से संबंधीत है और इसलिये यह मानवाधिकारो के दुरूपयोग के लिये एक संभावित हथियार है। अमेरिका में, कुछ राज्य कानून निवाकर हिरासत को अधिकृत करते है, जहॉ स्पष्ट व ठोस सबूत है कि प्रतिवादी किसी अन्य व्यक्ति या समुदाय के लिये खतरा है, और प्री-ट्रायल रिहाई की कोई भी शर्त या शर्तो का संयोजन उस खतरे से उचित रूप में रक्षा नहीं कर सकता है। यह नोट किया गया है कि अपराध निर्धारित होने से पहले किसी प्रतिवादी को दण्डित करने के लिये पूर्व-परीक्षण हिरासत को एक उपकरण के रूप में नियोजित नहीं किया जाना चाहिए, न ही प्रतिवादी के स्पष्ट गलत काम पर नाराजगी व्यक्त करने के लिये, बल्कि इसका एक मात्र उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा और प्रतिवादी की भविष्य की उपस्थिति सुनिश्चित करना है। अदालत जब सरकार यह साबित कर दे कि रिहाई की शर्ते उन लक्ष्यो को हासिल नहीं कर सकती। यूके में, निवारक निरोध का उपयोग कमोबेश आंतकवाद विरोधी उपायो में किया जाता है। भारत में, निवारक निरोध अधिनियम 1950 में संसद द्वारा पारित किया गया था। 1969 में

इस अधिनियम की समाप्ति के बाद, 1971 में आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम (TADA) अधिनियमित किया गया था, इसके बाद इसका आर्थिक सहायक विदेशी मुद्रा संरक्षण और रोकथाम अधिनियम बनाया गया था। 1974 में तस्करी गतिविधिया अधिनियम और 1985 में आंतकवाद और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (TADA) हांलांकि TADA और ज्।क्। को निरस्त किया गया है, Cofeposa अन्य समान कानूनो जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, रोकथाम अधिनियम के साथ लागू है। कालाबाजारी एवं आवश्यक वस्तु रखरखाव अधिनियम 1980

19. भारत से अपने पडौसी देशो में विदेशी मुद्राओ, प्राचीन वस्तुओ और अन्य मुल्यवान वस्तुओ की तस्करी के फलते-फूलते कारोबार पर अंकुश लगाने के लिये Cofeposa अधिनियम बनाया गया है। अधिनियम के उद्देश्यो और कारणो से, यह स्पष्ट है कि अधिनियम का उद्देश्य विदेशी मुद्रा नियमो के उल्लंघन या तस्करी गतिविधियो को रोकना है जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर तेजी से हानिकारक प्रभाव डाल रहे है और जिससे राज्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड रहा है।

20. Cofeposa की धारा 3 (1) में लिखा है: कुछ व्यक्तियों को हिरासत में लेने के आदेश देने की शक्ति। (1) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार को कोई अधिकारी, जो उस सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे का ना हो, उस सरकार द्वारा इस धारा के प्रयोजनो

के लिये विशेष रूप से सशक्त हो या राज्य सरकार का कोई अधिकारी, उस सरकार के सचिव के पद से नीचे का नहीं, उस सरकार द्वारा इस धारा के प्रयोजनो के लिये विशेष रूप से सशक्त, यदि संतुष्ट हो, तो किसी भी व्यक्ति (विदेशी सहित) के संबंध में, उसे कार्य करने से रोकने की दृष्टि से विदेशी मुद्रा के संरक्षण या संवर्द्धन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या उसे रोकने की दृष्टि से कोई भी तरीका (i) माल की तस्करी करना, या (ii) माल की तस्करी को बढावा देना या (iii) तस्करी के माल के परिवहन या छूपाने या रखने में संलग्न होना, या (iv) तस्करी के माल के परिवहन या छूपाने या रखने में सलग्न होने के अलावा अन्यथा व्यापार करना या (v) माल की तस्करी में लगे व्यक्तियो को शरण देना या माल की तस्करी को बढावा देना, ऐसा करना आवश्यक है, एक आदेश जारी करे कि ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लिया जाये।

21. अधिनियम निवारक हिरासत की सख्ती के प्रयोग के लिये दो स्थितियो पर विचार करता है, अर्थात विदेशी मुद्रा नियमो के उल्लंघन को रोकने और तस्करी गतिविधियो को रोकने के लिये। हिरासत का आदेश पारित करने का औचित्य उस व्यक्ति पर संदेह या उचित संभावना है जिसे भविष्य में तस्करी की गतिविधियो को अंजाम देने से रोकने के लिये हिरासत में लिया जाना चाहिए। दुसरे शब्दो में भविष्य में पूर्वाग्रह पुर्ण गतिविधियो में शामिल होने की व्यक्ति की क्षमता या प्रवृति को साबित करने की आवश्यकता है।

22. यह कानुन एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्वान्त है कि एक भी घटना हिरासत में लिये गये व्यक्ति की प्रवृति और क्षमता को साबित करने के लिये पर्याप्त है ताकि इस मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित निवारक हिरासत के आदेश को उचित ठहराया जा सके।पूजा बत्रा बनाम भारत संघ (यूओआई) और अन्य:

जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकि है, एक घटना के आधार पर हिरासत प्राधिकारी Cofeposa अधिनियम के तहत उसे हिरासत में लेने सहित उचित कार्यवाही करने के लिये स्वतन्त्र है। हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने प्रविष्ठी बिल संख्या 589144 दिनांक 25.04.2007 के तहत कवर किये गये आयात योग्य सामान के संबंध में उल्लघंन का उल्लेख किया है। एक उपयुक्त मामले में, तस्करी की एक घटना से भी वैध्य रूप से एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि व्यक्ति तस्करी गतिविधियो में शामिल हो सकता है, हालांकि, उस आवश्यक उद्देश्य के लिये किसी व्यक्ति द्वारा पहले से ही की गयी गतिविधियो की प्रकृति और प्रकृति को ध्यान में रखना आवश्यकता है। उचित संतुष्टि तक पहुंचने के लिये विचार करना कि वह व्यक्ति तस्करी में लगा हुआ था और उसे रोकने की दृष्टि से उसे हिरासत में लेना आवश्यक था। इस न्यायाल ने आगे कहा कि: यदि एकान्त घटना के आधार पर इस तरह के निष्कर्ष पर पहूंचने के लिये पर्याप्त सामग्री नहीं है तो न्यायालय की आवश्यकता है और वह भारत के संविधान के तहत गारण्टीकृत व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के मध्यनजर उसकी

रक्षा करने के लिये बाध्य है। इसके अलावा कानुन के तहत प्राधिकार की व्यक्तिपरक संतुष्टि पुर्ण नही है और अनुचित नही होनी चाहिए। निवारक हिरासत के मामले में, यह देखने की आवश्यकता है कि यह उचित रूप से किसी संगठित कार्य या संगठित गतिविधि की अभिव्यक्ति को इंगित करने के लिये कहा जा सकता है या एक अनुमान के लिये जगह दे सकता है कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति इसी तरह की पूर्वाग्रह पूर्ण गतिविधि में शामिल रहेगा। या इसकी आवश्यकता होगी। यह सुनिश्चित करने के लिये व्यक्ति को हिरासत में लिया जाये कि भविष्य में इस गतिविधि को दोबारा न दोहराये। दुसरे शब्दो में, जबकि तस्करी का एक भी कार्य Cofeposa अधिनियम के तहत हिरासत का आदेश जारी करने का आधार बन सकता है, सबुत के उच्चतम मानक अस्तित्व आवश्यक है। यह इंगित करने के लिये किसी विशिष्ट और प्रमाणित सामग्री के अभाव में कि भविष्य में ऐसी गतिविधियो में शामिल रहने की उसकी प्रवृति और क्षमता थी, केवल यह तथ्य कि एक अवसर पर व्यक्ति ने देश में माल की तस्करी की, उसे हिरासत में लेने का वैद्य आधार नहीं होगा। Cofeposa अधिनियम के तहत। इसे उक्त व्यक्ति की अतित या भविष्य की गतिविधियो से इकट्ठा किया जा सकता है।

23. के मामले में गुरदेव सिंह बनाम भारत संघ और अन्य, इस न्यायालय ने कहा:

क्या हिरासत का आदेश हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा दिमाग के गैर-प्रयोग से ग्रस्त है, यह किसी सीधे-सीधे सूत्र या निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार जांच करने का मामला नहीं है। यह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, बंदी के खिलाफ कथित गतिविधियों की प्रकृति, ऐसे आरोपों के समर्थन में एकत्र की गई सामग्री, बंदी की ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की प्रवृति और क्षमता आदि पर निर्भर करता हैं। अधिनियम ऐसा नहीं करता है हिरासत में लेने वाले प्राधिकारों द्वारा व्यक्तिपरक संतुष्टि पर पहुचने के लिए किसी भी निर्धारित पैरामीटर का कम करना। जिस उद्देश्य के लिए अधिनियम बनाया गया है और जिस उद्देश्य को प्राप्त करने का इरादा है, उसे ध्यान में रखते हुए, संसद ने अपने विवेक से, हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के लिए तय करने के लिए कोई मानक निर्धारित नहीं किया है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ हिरासत का आदेश पारित किया जाना चाहिए या नहीं। मामले को सक्षम प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर छोड़ दिया गया है।

24. उपर्यक्त मामलों से जो बात सामने आती है वह यह है कि, एक अकेला कृत्य भी भविष्य में इसी तरह की तस्करी गतिविधियों को जारी रखने के लिए हिरासत में लिए गए व्यक्ति की प्रवृति और क्षमता को साबित कर सकता है। केवल यह तथ्य कि एक अवसर पर व्यक्ति ने देश में माल की तस्करी की,Cofeposa के तहत किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का वैध आधार बन सकता। इस प्रयोजन के लिए, व्यक्ति के पूर्ववृत,

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, उत्तरदाता बंदी द्वारा दिए गए स्वीकारोक्ति बयान पर बडे पैमाने पर भरोसा करना चाहते है, जहां उसने मौद्रिक प्रतिफल के बदल में विदेशी मुद्रा ले जाने की बात स्वीकार की थी। उत्तरदाताओं का तर्क है कि अपीलकर्ता द्वारा की गई स्वीकारोक्ति यह साबित करती है कि, अपीलकर्ता एक तस्करी गिरोह का हिस्सा है और इसलिए Cofeposa के प्रावधानों के तहत उसकी हिरासत आवश्यक है। हमारे विचार में, प्रतिवादी के विद्वान वकील की इस दलील में कोई दम नही है। सीमा शुल्क अधिकारियों के समक्ष दिए गए बयान में, अपीलकर्ता ने केवल पूर्ववृत, सिंगापुर में रहने के दौरान उसके द्वारा किए गए व्यवसाय की प्रकृति और सिंगापुर में व्यापारिक लेनदेन करने वाले एक व्यक्ति द्वारा उसे विदेशी मुद्रा ले जाने के लिए कैसे प्रेरित किया गया था, के बारे में बताया है। इस प्रकार दिए गए बयान में, उन्होंने यह भी सुझाव नहीं दिया है कि वह पहले भी विदेशी मुद्रा तस्करी गतिविधियों में शामिल थे। यह उत्तरदाताओं का मामला नहीं है कि यदि उसे हिरासत में नहीं लिया गया, तो वह खुद को विदेशी मुद्रा तस्करी गतिविधियों में शामिल नहीं है कि यदि उसे हिरासत में नहीं लिया गया, तो वह खुद को विदेशी मुद्रा तस्करी गतिविधियों में शामिल कर लेगा और यह उनका विशिष्ट मामला है कि वह तस्करी गतिविधि को बढ़ावा दे सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों में, निवारक हिरासत के आदेश को उचित ठहराने के लिए सबूत का मानक उच्च होना चाहिए। हमारे विचार

में, हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के पास विवादित आदेश पारित करने के लिए कोई बाध्यकारी कारण नहीं थे। अतः निरोध का आदेश टिकाउ नहीं है।

25. दूसरे मुद्दे पर आगे बढ़ते हुए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलकर्ता व्यक्तिगत रूप से विदेशी मुद्रा ले गया जो कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन(मुद्रा का निर्यात और आयात) विनियम, 2000 के विनियमन 5 में बताई गई राशि का उल्लंघन है। सवाल यह है कि क्या अपीलकर्ता का कृत्य उसके खिलाफ पारित किए जाने वाले निवारक निरोध आदेश को उचित ठहराता हैं। हिरासत आदेश COFEPOSA। की धारा 3(1)(प) के तहत पारित किया गया था। उपधारा केंद्र सरकार या राज्य सरकार को व्यक्ति को तस्करी गतिविधियों को जारी रखने से रोकने के लिए निवारक हिरासत का आदेश पारित करने के लिए अधिकृत करती है। आदेश में बताया गया कारण यह है कि, अपीलकर्ता को रिमाण्ड कैदी के रूप में हिरासत मे लिया गया है बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया जायेगा। इसलिये प्रतिवादी नंबर 1 के अनुसार, ऐसी संभावना है कि जमानत पर बाहर आने पर वह अवैध गतिविधि एवं माल की तस्करी में लिप्त होगा।हिरासत आदेश के पैरा "6" में कहा गया है: राज्य सरकार इस तथ्य से भी संतुष्ट है कि उपर उल्लेखित तथ्यो व सामग्री के आधार पर, यदि आपको जमानत पर रिहा किया जाता है, तो आप फिर से ऐसी गतिविधियो में शामिल हो जायेंगे और आगे सामान्य आपराधिक कानुन का सहारा लेने से आपको प्रभावी

ढंग से रोकने में वांछित प्रभाव नहीं पडेगा। ऐसी गतिविधियो में शामिल होना जबकि आपका पासपोर्ट अदालत में जमा किया जा चुका है। इसलिये, राज्य सरकार मानती है कि, आपको तस्करी में शामिल होने से रोकने के लिये विदेशी मुद्रा सरंक्षण और तस्करी गतिविधियो की रोकथाम अधिनिमय, 1974 की धारा 3 (1)(प) के तहत आपको हिरासत में लेना आवश्यक है।

26. सुनवाई के दौरान, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि केवल बंदी का पासपोर्ट अपने पास रखना ही पर्याप्त नही होगा क्योकि निवारक हिरासत आदेश पारित किया गया है ताकि उसे उकसाने से रोका जा सके। देश में रहकर माल की तस्करी। उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया। उच्च न्यायालय ने निवारक निरोध आदेश पारित करने को उचित ठहराने के लिये इसे एक संतोषजनक उत्तर के रूप में स्वीकार किया। प्रतिवादी नंबर 1 और 3 की ओर से दायर जवाबी हलफनामे में पैरा 3 में कहा गया है: प्रतिवेदन में स्वयं बंदी द्वारा स्वीकार किया गया है कि वह भारत में जीवित भी नहीं रह सकता इसलिये जब तक वह इस देश से बाहर नहीं जाता तब तक वह जीवित रहने के लिये उसके द्वारा बिना पासपोर्ट के अप्रत्यक्ष और अवैध रूप से ऐसी गतिविधियो में शामिल होने की पुरी संभावना है और ऐसी गतिविधियो में शामिल भी हो सकता है। इसलिये, इन आधारो पर किये गये दावे टिकाउ व अस्थिर है और पारित हिरासत आदेश कानुन में वैध है।

27. हमारे विचार में, यदि ऐसी स्थिति है तो निवारक हिरासत का आदेश Cofeposa की धारा 3(1)(पप) के तहत पारित किया जा सकता था, क्योकि यह राज्य सरकार को उसे रोकने के लिये निवारक निरोध आदेश पारित करने के लिये अधिकृत करता है। माल की तस्करी को बढावा देना। उत्तरदाताओ द्वारा दिया गया तर्क किसी भी तर्क से रहित है। वर्तमान मामले में हिरासत आदेश COFEPOSA की धारा 3(1)(ii) के तहत पारित किया गया है। सीमा शुल्क विभाग ने बंदी का पासपोर्ट अपने पास रख लिया है। अपीलकर्ता के तस्करी गतिविधियो में शामिल होने की संभावना को प्रभावी ढंग से बंद कर दिया गया था। जैसा कि इस न्यायालय ने राजेश गुलाटी के मामले में देखा था, यह तर्क कि पासपोर्ट की अनुपस्थिति के बावजूद अपीलकर्ता अपनी गतिविधियो को जारी रख सकता है या जारी रखने में सक्षम होगा, किसी भी सामग्री पर आधारित नहीं है बल्कि शुद्व अटकल का एक टूकडा था।

28. राज्य की ओर से पेश वकील ने अब्दुल सथान इब्राहिम मलिक बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में इस न्यायालय द्वारा की गयी टिप्पणीयो पर भरोसा किया। साथ अब्दुल सथार इब्राहिम माणिक बनाम भारत संघ और अन्य, निर्णय के पैरा 4 के विशेष संदर्भ में। उपरोक्त पैराग्राफ को ध्यान से पढने पर पता चलता है कि अदालत ने पासपोर्ट जब्त किये जाने के सवाल का जवाब नहीं दिया। उक्त मामले में, हिरासत का आदेश हिरासत में लिये गये व्यक्ति के पास से विदेशी मूल के 50 सोने

के बिस्कूट पाये जाने पर आधारित था। यह भी पाया गया कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति एक बडे अंर्तराष्ट्रीय गिरोह का हिस्सा था और इसलिये अदालत ने विस्तृत प्राधिकारी द्वारा पारित हिरासत के आदेश को बरकरार रखा। यह न्यायालय इस मुद्दे पर नहीं गया कि क्या हिरासत में लिये गये व्यक्ति का पासपोर्ट जब्त करना तस्करी की संभावना को रोकने और निवारक हिरासत के आदेश को अनुचित ठहराने के लिये पर्याप्त था।

29. दूसरा मामला जिस पर राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने भरोसा जताया था, सिट्ठी जुरैना बेगम बनाम भारत संघ (यूओआई) और अन्य, हमारे विचार में, इस मामले में प्राप्त निष्कर्ष और निष्कर्ष उत्तरदाताओ के तर्क में सहायता नहीं करेंगे, क्योकि अदालत ने उस मामले मे माना था कि बंदी के पासपोर्ट को जब्त करने से बंदी की तस्करी गतिविधियो में शामिल होने की संभावना प्रभावी रूप से समाप्त हो जाती है।

30. हमारे विचार में, अपीलकर्ता के विद्वान वकील की दलील को स्वीकार किया जाना आवश्यक है वर्तमान मामले में जैसा कि तथ्यो से पता चलता है, निवारक निरोध आदेश पारित करके किसी व्यक्ति की स्वतन्त्रता को कम करने की कोई तत्काल आवश्यकता नहीं थी। विदेशी मुद्रा की तस्करी नहीं की जा सकती क्योकि पासपोर्ट जब्त होने के कारण कोई भी व्यक्ति देश के बाहर नहीं जा सकता, केवल इसलिये कि कोई

व्यक्ति अन्यथा देश में जीवित नहीं रह सकता, यह निष्कर्ष निकालने का कोई आधार नही है कि कोई व्यक्ति फिर से देश में रहकर तस्करी गतिविधियो का सहारा लेगा, या ऐसी गतिविधियो को बढावा देगा। किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतन्त्रता से जुडी इन परिस्थितियो में उच्च मानक के प्रमाण की आवश्यकता होती है। उत्तरदाताओ द्वारा प्रदान की गयी सामग्री मामले के तथ्य और परिस्थितियो में निवाकर हिरासत के आदेश के तहत अपीलकर्ता की स्वतन्त्रता में कटौती को उचित ठहराने के लिये पर्याप्त नहीं है।

31. उपरोक्त चर्चा के मध्यनजर, हमने, दोनो पक्षों के विद्वान वकील की दलीलो पर विचार करने के बाद, अपने आदेश दिनांक 28.10.2009 द्वारा, बंदी की रिहाई का निर्देश दिया था और अब इसके कारणों को दर्ज किया है।

एन.जे. अपील स्वीकार की गयी।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री दलपत सिंह राजपुरोहित (आर.जे.एस.) द्वारा गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण

ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।